

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 71/2018 (राजसमन्द डिकी)

1. शंकरलाल पिता बट्टीलाल जी अहीर, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमतो बट्टो बाई पुत्री कालूराम जी जाट, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. बट्टीलाल पिता लेहरूलाल जी जाट, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सीताराम पिता मांगीलाल जी जाट, निवासी भाणसोल का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (नाम ड्रॉप)
3. प्रेमलाल पिता मांगीलाल जी जाट, निवासी भाणसोल का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (नाम ड्रॉप)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरुद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 25.06.2018 प्र. सं. 61/12

-----::-----

- उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री एस. एल. लट्ठा अभिभाषक अपीलान्टगण
 2. श्री सी. एस. शक्तावत अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
 3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 4

-----::-----

निर्णय

दिनांक

24-07-2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्तगण व अन्य रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुरज में आराजी नंबर 2114 से 2116, 2128, 2129, 2133 से 2136 कुल कित्ता 9 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी सीताराम व प्रेमलाल ने अपना 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10-10-2011 को कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तथा प्रतिवादी शंकरलाल ने भी आराजी नंबर 2114 व 2129 के अलावा अन्य भूमियों में खातेदारी बद्दीबाई का 1/2 हिस्सा कय किया है तथा शेष 1/2 हिस्सा बद्दीबाई का रहा है। विक्रेतागण के भाई रोशनलाल ने अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी शंकरलाल को विक्रय कर दिया। ग्राम पंचायत कुरज ने वादी के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण निरस्त कर दिया, क्योंकि कुरज सरपंच लक्ष्मणलाल प्रतिवादी शंकरलाल का सगा भाई है। वादग्रस्त भूमियों के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों ही क्रेता हैं तथा अपने-अपने हिस्से की भूमि का विकास कर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः वादग्रस्त भूमियों का विभाजन कराया जाकर वादी को 1/3 हिस्से का स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा वादी के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को बनावटी व फर्जी होना बताते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रतिपवाद भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किया जा चुका है, जिसे स्वयं वादी ने अपने वाद पत्र में स्वीकार किया है। विवादित भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिए बिना कब्जेयाबी का वाद लाये वादी प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल नहीं कर सकता।

अतः प्रतिवादी का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम के खण्डन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अतः प्रतिपवाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों का सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 25-06-2018 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकर विवादित भूमियों के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित करने के आदेश दिये, जिसस रूष्ट होकर अपीलान्तगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27-12-2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री सी. एस. शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोंडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 25-06-2018 को अपीलान्तगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्तगण को 13-11-2018 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। तार्जद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, तदनुसार अपीलान्तगण द्वारा जानकारी होने का जो कथन वर्णित किया गया है वह प्रथम दृष्टया

उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि पत्रावली दिनांक 23-04-2018 को प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत थी, जो दिनांक 23-07-2018 के लिए नियत की गयी, किन्तु बिना अपीलान्ट को सूचित किये पत्रावली दिनांक 27-04-2018 को रखी जाकर दिनांक 25-06-2018 को अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की बिना साक्ष्य लिए निर्णय पारित कर दिया गया, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त की जावे।

रेस्पोंडेन्ट 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उसने विभाजन की रिलीफ त्यागने के लिए कोई सहमति नहीं दी। अतः पुनः प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर मेरिट पर निर्णय किया जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि विवादित भूमियों सीताराम व प्रेमलाल का 1/3 दर्ज होकर उनके द्वारा वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10-10-2011 को किया गया है, जिसके आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनकी साक्ष्य बन्द की गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार निर्णय पारित किया है। जहां तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का यह कथन कि विभाजन की रिलीफ त्यागने के लिए उनकी ओर से कोई सहमति नहीं दी गयी है इसलिए पुनः प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर मेरिट पर निर्णय किया जावे, किन्तु रेस्पोंडेन्ट द्वारा इस बाबत् कोई कोस अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः मात्र अपील के जवाब के आधार पर उन्हें किसी प्रकार की रिलीफ इस न्यायालय द्वारा अपील स्तर पर नहीं दी जा सकती।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विवेचन किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25-06-2018 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जोधावत)

(प्रियंका

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....
उदयपुर.....

व इजलास प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.
.....

शंकरलाल पिता बट्टीलाल जी अहीर, बनाम बट्टीलाल पिता लेहरूलाल
जी जाट,
निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, निवासी कुरज, तहसील
रेलमगरा,
जिला राजसमन्द व अन्य जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....71/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड
अधिकारी.....
.....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....25.....माह.....
06.....2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....24.....माह.....07.....सन् 2019 रूबरू.....
पक्षकारान
व हाजरी...श्री एस. एल. लढामिनजानिब अपीलान्त व.....श्री सी. एस.
शक्तावत

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील
अपीलान्त सारहीन होन से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का
निर्णय व डिक्री दिनांक 25-06-2018 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये
.... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....24.....माह.....07...
.....2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
----------	-----	-----	--------------	-----	-----

1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत मीजान			4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।